दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 8 जून, 2021 को मध्याह्न 12:00 बजे, वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह,

   वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.

2. श्री शैलेन्द्र शर्मा,

   अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.

3. श्री कामरान रिज़वी,

   अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल,

   सचिव, एन सी आर योजना बोर्ड

5. श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, विधायक
8. श्री ओ. पी. शर्मा, विधायक
9. श्री आदेश कुमार गुप्ता,निगम पार्षद,

   उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि. वि. प्रा.

विशिष्ट आमंत्रितगण

1. श्रीमती रेनू शर्मा

   अपर मुख्य सचिव (यू डी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

   सदस्य,(प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन), दि. वि. प्रा.

3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी

   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूदृश्यांकन, आवास एवं उद्यान), दि. वि. प्रा.

4. श्री जे पी अग्रवाल

   सचिव, (एल एवं बी), रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

5. श्री ज्ञानेश भारती

   आयुक्त,दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

6. श्री संजय गोयल

   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

7. श्री विकास आनंद

   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

माननीय उपराज्यपाल के सचिव

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला

   माननीय उपराज्यपाल के सचिव

2. सुश्री साक्षी मित्तल

   माननीय उपराज्यपाल के विशिष्ट सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, वशिष्ट आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद संख्या.39/2021

दिल्ली विकास प्राधिकरण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 13.04.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा 'दिल्ली मुख्य योजना'-2041 के लिए ड्राफ्ट के संबंध में मद संख्या 34/2021 के लिए दिनांक 13.04.2021 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई और प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई जिसमें संशोधन को निम्नानुसार शामिल किया गया:

सचिव, एनसीआरपीबी ने उल्लेख किया कि कम समय होने के बावजूद, उन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से सुझाव दिए थे। वे बाद में विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इसके आलावा उन्होंने कुछ प्रमुख सुझावों पर प्रकाश डाला है। तदनुसार, मद संख्या 34/2021 के लिए बैठकों के कार्यवृत्त में श्री आदेश कुमार गुप्ता द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जा सकता है : -

i. 200 के मौजूदा एफएआर के लिए लैंड पूलिंग क्षेत्रों के एफएआर में वृद्धि।
ii. डीएसटीपीएस को बढ़ावा देना और उन्हें अनिवार्य बनाना।
iii. ताजे पानी पर निर्भरता कम करना और तदनुसार,
iv. जल पुन: उपयोग प्रतिशत आदि के संबंध में दिल्ली के स्थानीय लक्ष्यों का निर्धारण।

मद संख्या.40/2021

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 13.04.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

13.04.2021 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नोट किया गया:

श्री विजेंदर गुप्ता

i) होटलों के संबंध में कार्यवृत मद अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है।

श्री सोमनाथ भारती

i) स्कूल के लिए शिक्षा विभाग को जंगपुरा में दिल्ली जल बोर्ड की भूमि के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

ii)दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर फेथ अकादमी द्वारा किए गए अतिक्रमण को माननीय उच्च न्यायालय,दिल्ली के आदेश के बावजूद अभी तक नहीं हटाया गया है।

iii)गौतम नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के अनधिकृत कब्जे के संबंध में कोर्ट का मामला खारिज कर दिया गया है। इसलिए, निर्माण ढ़हाने का कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए और भूमि का उपयोग सामुदायिक केंद्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रतिबद्धता के अनुसार किया जाना चाहिए।

iv)अर्जुन नगर में स्कूल के लिए खेल के मैदान के रूप में और आंशिक रूप से राजस्व बंटवारे के आधार पर एसडीएमसी के साथ पार्किंग विकसित करने के लिए प्लाट के अस्थायी आवंटन के प्रस्ताव से क्षेत्र में और अधिक समस्याएं पैदा होंगी।

v)हौज खास के खसरा संख्या 277 के सीमांकन के आधार पर निर्माण ढहाने का कार्यक्रम शीघ्र निर्धारित किया गया था। इसलिए, जब तक पिछले सीमांकन में कमियां न हों, नए सीमांकन की आवश्यकता नहीं है ।

vi)गोविंद पुरी से हरकेश नगर मेट्रो स्टेशनों तक सड़क के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए 03.062021 को साइट का संयुक्त निरीक्षण करने के लिए धन्यवाद।

श्री ओ पी शर्मा

i) दिल्ली मुख्य योजना-2041 के मसौदे पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में की गई किसी कार्रवाई की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है।

मद संख्या 41/2021

एक रणनीतिक योजना और अन्य संबंधित नीतियों/योजनाओं के रूप में दिल्ली मुख्य योजना - 2041 को तैयार करने के लिए सहयोग हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन का विस्तार।

एफ.15(04)/2017/एम पी

कार्यवृत्त मद में निहित जानकारी नोट की गई थी।

मद संख्या 42/2021

दिल्ली मुख्य योजना के पैरा 6.4.1.1 में नॉन-कंफर्मिंग क्षेत्रों में गोदामों के लिए तारीख़ बढ़ाने के संबंध में।

एफ 3(84)2010/एम पी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जनता को प्रावधानों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करें ताकि विस्तारित अवधि के भीतर गोदामों को स्थानांतरित करने या नियमित करने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

मद संख्या 43/2021

प्लानिंग जोन 'डी' में प्लॉट नंबर 30बी, 36 और 38 और प्लानिंग जोन 'सी' में सिविल लाइंस/मॉल रोड के पास चन्द्रावल में 6.54 एकड़ के प्लॉट के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(12)2019/एमपी

मद संख्या 44/2021

अस्पतालों में पीएसए प्लांट/लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और इसी तरह के संबंधित आधारिक संरचना की स्थापना के लिए डब्ल्यूपी (सी) 3031/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के निर्देश के अनुसार, एकीकृत भवन उपविधि दिल्ली 2016 (यूबीबीएल-2016) में प्रस्तावित संशोधन।

एफ प्लानिंग /बिल्डिंग /0005/2021/एफ -7/ओ /ओ डायरेक्टर (बिल्डिंग)

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामला डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत डीडीए द्वारा अधिसूचना के अनुमोदन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 45/2021

ईदगाह रोड, जोन-ए (वॉल्ड सिटी एरिया के अलावा) पर बहुस्तरीय कार पार्किंग के लिए भूमि उपयोग को 'आवासीय (पुनर्विकास)' से यातायात (एमएलसीपी)' में बदलने का प्रस्ताव।

एफ 3(61)2011-एम पी /पार्ट -I

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के तहत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद संख्या 46/2021

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास नियंत्रण मानदंडों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना -2021 में संशोधन।

एफ.22(02)2019/एम पी

यथा परिचालित संशोधन एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 47/2021

डीडीए द्वारा गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्व-स्थाने पुनर्वास परियोजना की निर्माण योजनाओं के विकास और संस्वीकृति की अनुमति।

एफ /आई एस आर /0007/2021/पी एम ए वाई /-ओ /ओ कंसलटेंट (स्व -स्थाने पुनर्वास परियोजना)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

मद संख्या 48/2021

ई-नीलामी के माध्यम से फ्रीहोल्ड आधार पर छोटे आवासों /छोटे आकार की आवासीय इकाइयों/छोटे फ्लैटों के निर्माण के लिए 60 वर्ग मीटर (आच्छादित क्षेत्र) के कुरसी क्षेत्रफल से अधिक नहीं होने वाले कुछ समूह आवासीय प्लॉटों का निपटान।

एफएलडी/जीएच/0001/2019/एफ-1/मिस-जीएच-1

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

मद संख्या 49/2021

विशिष्ट उद्देश्य के लिए नीलाम किए गए ,लेकिन पट्टे में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक प्लॉटों (व्यावसायिक क्षेत्रों में) के लिए शुल्क का निर्धारण, हालांकि ऐसा उपयोग दिल्ली मुख्य योजना -2021 के अनुरूप है।

एफ.1(मिस.)2019/चेंज ऑफ लैंड यूज/सीएल

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।मामले को डीडी अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को डीडीए द्वारा अंतिम अधिसूचना के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 50/2021

निर्मित दुकानों/इकाइयों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारण हेतु नीति की समीक्षा।
एफ.1(114)/17/एलडी /कोऑर्डि.
एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

मद संख्या 51/2021

वर्ष 2021-22 के लिए दुरूपयोग शुल्क की गणना के उद्देश्य से भूमि दरों का निर्धारण।
एफ 2(14)96-97/ए ओ(पी)/डी डी ए /पार्ट -II
एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

मद संख्या 52/2021

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्लॉटों और फ्लैटों के आवंटन के लिए विकसित क्षेत्र में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण।
एल सी /प्रोजेक्ट /0002/2021/एफ -2/पी डी डी एल।
एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

मद संख्या 53/2021

वर्ष 2021-22 के लिए रोहिणी फेज iv एवं v, टिकरी कलां और नरेला के लिए पूर्व निर्धारित दरों का निर्धारण।
एफ 2((204)2021/ए ओ (पी)/डी डी ए
एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।मामला डीडीए (विकास नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 की धारा 2 (I) के तहत अनुमोदन और अधिसूचना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए।

मद संख्या 54/2021

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अधिनियम 1971 के तहत लगाए जाने वाले नुकसान के लिए दरों का निर्धारण।
एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
एफ.1(मिस.)/डैमेज अकाउंट/2016-17/पार्ट.

मद संख्या 55/2021

आवासीय संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए शुल्क में संशोधन।
एफ 2(150)2020/ए ओ(पी)डी डी ए /पार्ट
एजेंडा मद वापस ले लिया गया था।

मद संख्या 56/2021

नरेला में गोदामों के लिए लगाए जाने वाले बाह्य विकास प्रभारों की मौजूदा दर की अनुप्रयोज्यता के लिए एक वर्ष अर्थात 15.08.2022 तक के लिए समय का विस्तार।
एफ 5(10)2019/ए ओ(ओ)पी /डी डी ए
एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत अनुमोदित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 57/2021

निम्नलिखित के लिए मौजूदा दरों की अनुप्रयोज्यता के लिए 31.12.2021 तक समय का विस्तार:

i) दिल्ली मुख्य योजना -2021 से उत्पन्न आवासीय संपत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक सड़कों और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए अतिरिक्त एफएआर; तथा

ii) परिसर और दुकान सह आवासीय प्लाट /कॉम्प्लेक्स के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन प्रभार,जिसे बाद में एलएससी के रूप में नामित किया गया।

एफ 2(14)202-2021/ए ओ (पी)/डी डी ए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत अनुमोदित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।
प्राधिकरण के माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'।

श्री विजेंदर गुप्ता

i) हाल ही में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद सुविधाओं को फिर से खोला जा रहा है, पार्क जैसी डीडीए सुविधाओं को फिर से खोला जा रहा है।

ii) प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने वाले प्राधिकरण के सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

i) डीडीए को एमएलएएलएडी फंड के माध्यम से गुलमोहर पार्क में सामुदायिक केंद्र के विकास के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

ii) बेगमपुर में भूमि के प्लॉट के लिए रहने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा, इसे फिर से अतिक्रमण किया जा सकता है।
iii)मालवीय नगर में श्मशान घाट के मामले को सुलझाया जाए और डीडीए इसे एसडीएमसी को सौंपे।

श्री ओपी शर्मा

i) उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनकी भूमि डीडीए द्वारा आवंटन के नियम और शर्तों के अनुसार आवंटित की गई थी, यदि उन्होंने कोविड -19 महामारी के दौरान ईडब्ल्यूएस रोगियों को भर्ती नहीं किया।
ii) समाप्त हो चुके सभी पट्टों के नवीनीकरण के लिए नीति बनाई जानी चाहिए।
माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।